भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2602

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

केवीके में जनशक्ति की कमी

2602. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कृषि विज्ञान केंद्रों में कुशल जनशक्ति की कमी को शीघ्र दूर करने, उनमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उन्हें उन्नत/अत्याधुनिक प्रौद्योकियों करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड सहित अन्य राज्यों में अभी भी बड़ी संख्या में जिले ऐसे हैं जहां केवीके नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विशेषकर झारखंड राज्य में शामिल नहीं किए गए जिलों को केवीके उपलब्ध कराने के लिए क्या समय-सीमा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) : कृषि विज्ञान केंद्रों में कुशल जनशक्ति की रिक्तियां है। कृषि विज्ञान केंद्रों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। इन रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ईएफसी दस्तावेज के प्रतिपादन के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने की योजना कार्यान्वित होती है। कृषि विज्ञान केंद्रों को अनुसंधान संस्थानों द्वारा सहायता दी जाती है और वे उन्नत/अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे-जलवायु अनुकूल किस्मों एवं पद्धतियों के प्रदर्शन, फार्म मशीनरी और उपकरणों, किसान ड्रोन, परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकियों आदि से सुसज्जित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों को इन उन्नत/ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) एवं (घ) : जी, हाँ। ऐसे 114 नवनिर्मित जिले हैं, जहां पर कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। सभी जिलों में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। नवनिर्मित जिलों में निर्धारित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है।

****